



मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2551756 email - mpagrohobpl@gmail.com website : www.mpagro.org

कं मुख्या/उद्यान/2025-26/ 50

भोपाल, दिनांक 08.2026

06-4-26

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- वर्ष 2025-26 के लिए प्रसारित की गई पुष्प रोपणी सामग्री (Hybrid Merigold) की क्रय-विक्रय दरों की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ- निगम का दर प्रसारण पत्र क्रं 2523 दिनांक 24.09.2025

2. निगम का दर वैधता अवधि में वृद्धि पत्र क्रं 3409 दिनांक 29.12.2025

निगम द्वारा संदर्भित पत्र क्रं 01 के माध्यम से वर्ष 2025-26 के लिए पुष्प रोपणी सामग्री (Hybrid Merigold) के प्रदाय हेतु दरों का प्रसारण किया गया था, जो दिनांक 31.12.2026 तक के लिए वैध थी। उक्त दरों की वैधता अवधि में निगम के संदर्भित पत्र क्रं 02 द्वारा प्रथम बार दिनांक 31.03.2026 तक के लिए दरों में वृद्धि की गई है।

निगम व्यवसाय को दृष्टि रखते हुए प्रसारित दरों की वैधता अवधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-

क्रं	सामग्री का नाम	वैधता अवधि में वृद्धि
1	पुष्प रोपणी सामग्री (Hybrid Merigold)	30.06.2026

उपरोक्तानुसार सामग्रियों की दरों की वैधता अवधि में वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

उप प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ - ⁵¹
06-4-26

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. निज सचिव, मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, आयुक्त, रेशम संचालनालय, भू-तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
7. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
10. mpfst.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रबंधक (उद्यान)